

वन अधिकार अधिनियम 2003 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र

ग्राम पंचायत का नाम—खैराड

तहसील—नैनवाग

जिला—टिहरी गढ़वाल

परियोजना का नाम—जनपद टिहरी गढ़वाल के विकास खण्ड जौनपुर अन्तर्गत RoW permission for laying Optical Fiber Cable Aerial(Approx 35 Poles per KM)From Yamuna Bridge to Damta including Nainbagh Village(Total Length- 24.50 KM) तक मोटर मार्ग के किनारे ऑप्टिकल फाइबर केबिल बिछाने हेतु अपेक्षित 0.972 है० वन भूमि का वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत गैर वानिकी कार्य हेतु Vindhya Telelinks Limited, EPC Division, Industrial Area, Mohali(Panjab) को वन भूमि प्रत्यावर्तन की अनुमति दिये जाने का प्रस्ताव।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत—खैराड द्वारा दिनांक 28-9-2017.

को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा आभेदित वन भूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई है। यह कि वन अधिकार अधिनियम 2003 के प्रावधानों के तहत आभेदित वनभूमि के आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी अथवा कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया है कि उक्त वनभूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी अथवा कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण से आभेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्रामसभा सर्वसम्मति द्वारा निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम—खैराड के ग्रामवासियों को उक्त परियोजना के निर्माण हेतु अपेक्षित 0.972 है० (वन स्वतन्त्र) बंजर भूमि का वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के तहत गैरवानिकी कार्य हेतु Vindhya Telelinks Limited, EPC Division, Industrial Area, Mohali(Panjab) के पक्ष में ऑप्टिकल फाइबर बिछाये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

ह०

ह०

ग्राम सचिव

मोहर सहित



ग्राम प्रधान

मोहर सहित

वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र

ग्राम पंचायत का नाम— सुरां

तहसील— नैनबाग

जिला— टिहरी गढ़वाल

परियोजना का नाम—जनपद टिहरी गढ़वाल के विकास खण्ड जौनपुर अन्तर्गत RoW permission for laying Optical Fiber Cable Aerial(Approx 35 Poles per KM)From Yamuna Bridge to Damta including Nainbagh Village(Total Length- 24.50 KM) तकमोटर मार्ग के किनारे ऑप्टिकल फाइबर केबिल बिछाने हेतु अपेक्षित 0.972 है० वन भूमि का वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत गैर वानिकी कार्य हेतु Vindhya Telelinks Limited, EPC Division, Industrial Area, Mohali(Panjab) को वन भूमि प्रत्यावर्तन की अनुमति दिये जाने का प्रस्ताव।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत— सुरांद्वारा दिनांक 28-9-2013 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा आभेदित वन भूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई है। यह कि वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्राविधानों के तहत आभेदित वनभूमि के आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी अथवा कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया है कि उक्त वनभूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी अथवा कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण से आभेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्रामसभा सर्वसम्मति द्वारा निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम—
.....के ग्रामवासियों को उक्त परियोजना के निर्माण हेतु अपेक्षित 0.972 है० (वन स्वरूप) बंजर भूमि का वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के तहत गैरवानिकी कार्य हेतु Vindhya Telelinks Limited, EPC Division, Industrial Area, Mohali(Panjab) के पक्ष में ऑप्टिकल फाइबर बिछाये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

HO Ramesh

ह०

ह०

ग्राम सचिव Ramesh
ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
विकास खण्ड-जौनपुर टि०ग०



वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र

ग्राम पंचायत का नाम— टहौर नैनबाग

तहसील— नैनबाग

जिला— टिहरी गढ़वाल

परियोजना का नाम—जनपद टिहरी गढ़वाल के विकास खण्ड जौनपुर अन्तर्गत RoW permission for laying Optical Fiber Cable Aerial(Approx 35 Poles per KM)From Yamuna Bridge to Damta including Nainbagh Village(Total Length- 24.50 KM) तकमोटर मार्ग के किनारेऑप्टिकल फाइबर केबिल बिछाने हेतु अपेक्षित 0.972 है0 वन भूमि का वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत गैर वानिकी कार्य हेतु Vindhya Telelinks Limited, EPC Division, Industrial Area, Mohali(Panjab) को वन भूमि प्रत्यावर्तन की अनुमति दिये जाने का प्रस्ताव।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत— टहौर द्वारा दिनांक 28-9-2017.

को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा आभेदित वन भूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई है। यह कि वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्राविधानों के तहत आभेदित वनभूमि के आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी अथवा कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया है कि उक्त वनभूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी अथवा कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण से आभेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्रामसभा सर्वसम्मति द्वारा निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम— टहौर के ग्रामवासियों को उक्त परियोजना के निर्माण हेतु अपेक्षित 0.972 है0 (वन स्वरूप) बंजर भूमि का वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के तहत गैरवानिकी कार्य हेतु Vindhya Telelinks Limited, EPC Division, Industrial Area, Mohali(Panjab) के पक्ष में ऑप्टिकल फाइबर बिछाये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

ह0

ह0

ग्राम सचिव
मोहर सहित



ग्राम प्रधान
मोहर सहित

वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र

ग्राम पंचायत का नाम— मरोड़

तहसील— नैनवाग

जिला— टिहरी गढ़वाल

परियोजना का नाम:—जनपद टिहरी गढ़वाल के विकास खण्ड जौनपुर अन्तर्गत RoW permission for laying Optical Fiber Cable Aerial(Approx 35 Poles per KM)From Yamuna Bridge to Damta including Nainbagh Village(Total Length- 24.50 KM) तकमोटर मार्ग के किनारेऑप्टिकल फाइबर केबिल बिछाने हेतु अपेक्षित 0.972 है० वन भूमि का वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत गैर वानिकी कार्यों हेतु Vindhya Telelinks Limited, EPC Division, Industrial Area, Mohali(Panjab) को वन भूमि प्रत्यावर्तन की अनुमति दिये जाने का प्रस्ताव।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत—मरोड़.....द्वारा दिनांक 28-9-2017.

को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा आभेदित वन भूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई है। यह कि वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्राविधानों के तहत आभेदित वनभूमि के आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी अथवा कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया है कि उक्त वनभूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी अथवा कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण से आभेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्रामसभा सर्वसम्मति द्वारा निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम—मरोड़.....के ग्रामवासियों को उक्त परियोजना के निर्माण हेतु अपेक्षित 0.972 है० (वन स्वरूप) बंजर भूमि का वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के तहत गैरवानिकी कार्य हेतु Vindhya Telelinks Limited, EPC Division, Industrial Area, Mohali(Panjab) के पक्ष में ऑप्टिकल फाइबर बिछाये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

ह०

ह०

ग्राम सचिव

मोहर सहित

प्रयोक्ता एजेंसी

ग्राम प्रधान

मोहर सहित



वन अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र

ग्राम पंचायत का नाम- काँडी तल्ली

तहसील जौनवाँग

जिला बिही गढ़वाल

परियोजना का नाम-

RoW permission for laying Optical Fibre Cable Aerial (approx. 35 poles per km.)
From -

Total length- (km.) तक मोटर मार्ग के किनारे ऑप्टिकल फाईबर केबल बिछाने हेतु अपेक्षित है।
वन भूमि का वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के तहत गैर वानिकी कार्य हेतु VINDHYA
TELELINKS LIMITED, EPC DIVISION, INDUSTRIAL AREA, PHASE-8B
MOHALI (PUNJAB) को भूमि प्रत्यावर्तन की अनुमति दिये जाने का प्रस्ताव।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत काँडी तल्ली द्वारा दिनांक 28-9-17 को सम्पन्न
ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आभेदित वन भूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति
प्रमाण पत्र निर्गत करना हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम 2005 के प्राविधानों के
तहत आभेदित वनभूमि के आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी अथवा कृषि कार्य है अथवा नहीं।
उपस्थित ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया है कि उक्त वनभूमि में आदिवासी अथवा गैर आदिवासी अथवा
कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण से आभेदित वन भूमि पर ग्राम
वासियों का परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

वर्षों के उपरान्त ग्रामसभा सर्वसम्मति द्वारा निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम
के ग्रामवासियों को उक्त परियोजना के निर्माण हेतु अपेक्षित 0972 है। (वन स्वरूप) बजर भूमि का (संरक्षण)
1980 के तहत गैरवानिकी कार्य हेतु VINDHYA TELELINKS LIMITED, EPC DIVISION,
INDUSTRIAL AREA, PHASE-8B MOHALI (PUNJAB) के पक्ष में ऑप्टिकल फाईबर
बिछाये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

है।

है।

ग्राम सचिव

प्रयोक्ता-एजेन्सी

ग्राम प्रधान

मोहर सहित ।



वन अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र

ग्राम पंचायत का नाम- भटौली

तहसील मौनबाँगा

जिला फिरोज़ी गढ़वाल

परियोजना का नाम- Laying of OFC 4G Line.

RoW permission for laying Optical Fibre Cable Aerial (approx. 35 poles per km.)
From -

Total length- km.) तक मोटर मार्ग के किनारे ऑप्टिकल फाइबर कबल बिछाने हेतु अपेक्षित है0
वन भूमि का वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के तहत गैर वानिकी कार्य हेतु VINDHYA
TELELINKS LIMITED, EPC DIVISION, INDUSTRIAL AREA, PHASE-8B
MOHALI (PUNJAB) को भूमि प्रत्यावर्तन की अनुमति दिये जाने का प्रस्ताव।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत भटौली द्वारा दिनांक 28-9-17 को राप...
ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आभेदित वन भूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति
प्रमाण पत्र निम्नलिखित करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम 2005 के प्राविधानों के
तहत आभेदित वनभूमि के आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी अथवा कृषि कार्य है अथवा नहीं।
उपस्थित ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया है कि उक्त वनभूमि में आदिवासी अथवा गैर आदिवासी अथवा
कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण से आभेदित वन भूमि पर ग्राम
वासियों का परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

वर्षों के उपरान्त ग्रामसभा सर्वसम्मति द्वारा निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम
के ग्रामवासियों को उक्त परियोजना के निर्माण हेतु अपेक्षित 6.97 है0 (वन स्वरूप) बजर भूमि का (संरक्षण)
1980 के तहत गैरवानिकी कार्य हेतु VINDHYA TELELINKS LIMITED, EPC DIVISION,
INDUSTRIAL AREA, PHASE-8B MOHALI (PUNJAB) के पक्ष में ऑप्टिकल फाइबर
बिछाये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

है0

है0

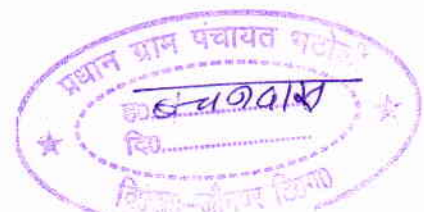
ग्राम सचिव

प्रयोक्ता एजेन्सी

ग्राम प्रधान

मोहर सहित ।

मोहर सहित



वन अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र

ग्राम पंचायत का नाम- कौंडी मल्ली

तहसील नौनवाँगा

जिला दिहरी गढ़वाल

परियोजना का नाम- Laying of OFC 4G Line.

RoW permission for laying Optical Fibre Cable Aerial (approx. 35 poles per km.)
From -

Total length- km.) तक मोटर मार्ग के किनारे ऑप्टिकल फाईबर कबल बिछाने हेतु आपेक्षित है।
वन भूमि का वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के तहत गैर वानिकी कार्य हेतु VINDHYA
TELELINKS LIMITED, EPC DIVISION, INDUSTRIAL AREA, PHASE-8B
MOHALI (PUNJAB) को भूमि प्रत्यावर्तन की अनुमति दिये जाने का प्रस्ताव।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत कौंडी मल्ली द्वारा दिनांक 28-9-17 को सम्पन्न
ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आभेदित वन भूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति
प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम 2005 के प्राविधानों के
तहत आभेदित वनभूमि के आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी अथवा कृषि कार्य है अथवा नहीं।
उपस्थित ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया है कि उक्त वनभूमि में आदिवासी अथवा गैर आदिवासी अथवा
कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण से आभेदित वन भूमि पर ग्राम
वासियों का परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

वर्षों के उपरान्त ग्रामसभा सर्वसम्मति द्वारा निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम
के ग्रामवासियों को उक्त परियोजना के निर्माण हेतु अपेक्षित 0.972 है० (वन स्वरूप) बजर भूमि का (संरक्षण)
1980 के तहत गैरवानिकी कार्य हेतु VINDHYA TELELINKS LIMITED, EPC DIVISION,
INDUSTRIAL AREA, PHASE-8B MOHALI (PUNJAB) के पक्ष में ऑप्टिकल फाईबर
बिछाये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

है०

है०

ग्राम सचिव

प्रयोक्ता एजेन्सी

मोहर सहित ।।

ग्राम प्रधान



वन अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र

ग्राम पंचायत का नाम मेलगाड

तहसील नौखोरा

जिला हिंदी गढ़वाल

परियोजना का नाम- Laying of OFC 44 Line.

RoW permission for laying Optical Fibre Cable Aerial (approx. 35 poles per km.)
From -

Total length- km.) तक मोटर मार्ग के किनारे ऑप्टिकल फाइबर कबल बिछाने हेतु अपेक्षित है।
वन भूमि का वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के तहत गैर वानिकी कार्य हेतु VINDHYA
TELELINKS LIMITED, EPC DIVISION, INDUSTRIAL AREA, PHASE-8B
MOHALI (PUNJAB) को भूमि प्रत्यावर्तन की अनुमति दिये जाने का प्रस्ताव।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत मेलगाड द्वारा दिनांक 28-9-17 को सम्पन्न
ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आभेदित वन भूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति
प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम 2005 के प्राविधानों के
तहत आभेदित वनभूमि के आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी अथवा कृषि कार्य है अथवा नहीं।
उपस्थित ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया है कि उक्त वनभूमि में आदिवासी अथवा गैर आदिवासी अथवा
कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण से आभेदित वन भूमि पर ग्राम
वासियों का परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्रामसभा सर्वसम्मति द्वारा निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम
के ग्रामवासियों को उक्त परियोजना के निर्माण हेतु अपेक्षित 0.772 है० (वन स्वरूप) बजर भूमि का (संरक्षण)
1980 के तहत गैरवानिकी कार्य हेतु VINDHYA TELELINKS LIMITED, EPC DIVISION,
INDUSTRIAL AREA, PHASE-8B MOHALI (PUNJAB) के पक्ष में ऑप्टिकल फाइबर
बिछाये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

है०

है०

ग्राम सचिव

प्रयोक्ता एजेन्सी

ग्राम प्रधान

मोहर सहित ।



वन अधिकार अधिनियम 2008 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र

ग्राम पंचायत का नाम- नैनबाँस नैनगाँव

तहसील- नैनवाग

जिला- टिहरी गढ़वाल

परियोजना का नाम:-जनपद टिहरी गढ़वाल के विकास खण्ड जौनपुर अन्तर्गत RoW permission for laying Optical Fiber Cable Aerial(Approx 35 Poles per KM)From Yamuna Bridge to Damta including Nainbagh Village(Total Length- 24.50 KM) तकमोटर मार्ग के किनारेऑप्टिकल फाइबर केबिल बिछाने हेतु अपेक्षित 0.972 है० वन भूमि का वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत गैर वानिकी कार्यों हेतु Vindhya Telelinks Limited, EPC Division, Industrial Area, Mohali(Panjab) को वन भूमि प्रत्यावर्तन की अनुमति दिये जाने का प्रस्ताव।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत-नैनगाँव द्वारा दिनांक 28-9-2017

को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा आभेदित वन भूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई है। यह कि वन अधिकार अधिनियम 2008 के प्रावधानों के तहत आभेदित वनभूमि के आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी अथवा कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपरिथित ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया है कि उक्त वनभूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी अथवा कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण से आभेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है। किसी भी प्रकार के भ्रम या खेद के भागे पीछे लगाने पर परिकर

चर्चा के उपरान्त ग्रामसभा सर्वसम्मति द्वारा निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम-नैनगाँव के ग्रामवासियों को उक्त परियोजना के निर्माण हेतु अपेक्षित 0.972 है० (वन स्वरूप) बंजर भूमि का वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के तहत गैरवानिकी कार्य हेतु Vindhya Telelinks Limited, EPC Division, Industrial Area, Mohali(Panjab) के पक्ष में ऑप्टिकल फाइबर बिछाये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

ह०

ह०

ह०

ग्राम सचिव

मोहर सहित

प्रयोक्ता एजेंसी



ग्राम प्रधान

मोहर सहित

